# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

| अपील संख्या | रजि0 न0 | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 11/107/2018 | 2018/00522 | 10.09.2018 | 20.06.2023 |

1. श्रीमति छोटी देवी पत्नी श्री नत्थूराम, जाति माली, निवासी आमकीवाल, तहसील राजगढ, जिला अलवर (राज0)।

अपीलाण्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ, तहसील राजगढ, जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार राजगढ दिनांक 28.02.2018 नामान्तकरण संख्या 3044 वाके ग्राम आमकीवाल तहसील राजगढ**

उपस्थितः–

01. श्री अजीत कुमार यादव – वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट

## –:: निर्णय ::–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ के निर्णय दिनांक 28.02.2018 नामान्तकरण संख्या 3044 वाके ग्राम आमकीवाल तहसील राजगढ जिसके द्वारा अपीलान्ट की खरीदशुदा आराजी खसरा न0 1798/0.20, 1799/0.16 का 1/2 हिस्से का नामान्तकरण अस्वीकार किया जाने से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि हाल आराजी खसरा न0 1798 रकबा 0.20 है0 व 1799 रकबा 0.16 है0 किता 02 रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर के खातेदार गुल्लो देवी पत्नी स्व0 मटमोल , कमलेश पुत्र स्व0 मटमोल, रणजीता उर्फ धोल्या पुत्र स्व0 मटमोल, गोपीराम पुत्र स्व0 मटमोल, गीता देवी पुत्री स्व0 मटमोल, बिमला देवी पत्नी स्व0 श्री लीला राम, प्रेम देवी पुत्री स्व0 लीला राम जाति माली निवासी आमकीवाल तहसील राजगढ के 1/2 हिस्से के खातेदार व सहखातेदार कजोडा पुत्र काला राम के बीच उक्त आराजी मौके पर बाहमी तौर से बटी हुई थी और अलग–अलग अपने–अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे थे। उपरोक्त खातेदार गुल्लो देवी पत्नी स्व0 मटमोल ,कमलेश पुत्र स्व0 मटमोल, रणजीता उर्फ धोल्या पुत्र स्व0 मटमोल, गोपीराम पुत्र स्व0 मटमोल, गीता देवी पुत्री स्व0

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (रा0)

मटमोल, बिमला देवी पत्नी स्व0 श्री लीला राम, प्रेम देवी पुत्री स्व0 लीला राम जाति माली निवासी आमकीवाल तहसील राजगढ के सम्पूर्ण हिस्से की आराजी का बेचान जरिये बयनामा दिनांक 05.10.2016 को अपीलान्ट छोटी देवी को कर दिया और बयनामा तहरीर करवाकर पंजीबद्ध करा दिया और अपनी हिस्से की आराजी पर अपीलान्ट को मौके पर कब्जा करवा दिया। तब से ही अपीलान्ट का उक्त आराजी पर कब्जे काश्त है। बयनामा से पूर्व उक्त आराजी भारतीय स्टेट बैंक राजगढ में रहन थी। जिससे सम्पूर्ण बैंक की बकाया राशि उक्त खातेदारान ने बैंक को अदा करके बैंक से नोड्यूज प्राप्त कर लिया उसके पश्चात ही विक्रेतागण ने अपीलान्ट के पक्ष में बयनामा तहरीर कराया गया था। अपीलान्ट द्वारा मुताबिक बयनामा दिनांक 05.10.2018 के उक्त खरीदशुदा आराजी का नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु रेस्पोडेन्ट तहसीलदार राजगढ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया और बयनामा व बैंक द्वारा जारी नोड्यूज की प्रति लगाई गई। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 3044 वाके ग्राम आमकीवाल दर्ज किया जाकर फैसल हेतु रेस्पोडेन्ट तहसीलदार राजगढ के समक्ष पेश किया गया। जिस पर मुताबिक आई एल आर रिपोर्ट के रहन युक्त है के आधार पर दिनांक 28.02.2018 को नामान्तकरण खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 3044 वाके ग्राम आमकीवाल जो बेजा खिलाफ कानून मनमाना व कयाशिया आधार पर खारिज किया गया है। जो रिमाइन्ड किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को सर्वप्रथम यह जानकारी दिनांक 26.07.2018 को हुई। जब अपीलान्ट अपनी खरीदशुदा आराजी के राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पटवारी हल्का के पास गई तो मालूम चला की अपीलान्ट के नाम का नामान्तकरण खारिज किये जाने की जानकारी मिली जिसपर अपीलान्ट ने दिनांक 27.01.2018 को नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 30.07.2018 को प्राप्त हुई। जिसपर अपील बिला देरी पेश है। अपील पेश करने में जो देरी हुई है वो जानकारी का अभाव होने के कारण कण्डोन किए जाने योग्य है। जिसके लिए प्रार्थन पत्र धारा 05 कानून मियाद अधीनियम अलग से पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ के आदेश दिनांक 28.02.2018 नामान्तकरण संख्या 3044 वाके ग्राम आमकीवाल तहसील राजगढ को रिमान्ड किया जाकर खरीदशुदा आराजी का नामान्तकरण दर्ज कराने आज्ञा प्रदान करें।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के विन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन करने पर जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा खातेदार गुल्लो देवी पत्नी स्व0 मटमोल ,कमलेश पुत्र स्व0 मटमोल, रणजीता उर्फ धोल्या पुत्र स्व0 मटमोल, गोपीराम पुत्र स्व0 मटमोल, गीता देवी पुत्री स्व0 मटमोल, बिमला देवी पत्नी स्व0 श्री लीला राम, प्रेम देवी पुत्री स्व0 लीला राम से जरिये बयनाम दिनांक 07.10.2016 से क्रय की गई आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तत्समय उक्त आराजी भारतीय स्टेट बैंक राजगढ में रहन दर्ज होने पर नामान्तकरण संख्या 3044 दिनांक 28.02.2018 खारिज कर दिया गया परन्तु अब अपीलान्ट ने उक्त आराजी से संबंधित जमाबन्दी संवत 2071–75 में आराजी खसरा न0 1798 रकबा 0.20 है0 व 1799 रकबा 0.16 है0 किता 02 रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम आमकीवाल तहसील राजगढ जिला अलवर नामान्तकरण संख्या 3176 दिनांक 13.07.2018 में रहनमुक्त होने की पेश की गई है। चूंकि

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

प्रश्नगत आराजी अपीलान्ट द्वारा जरिये बयनामा क्रय किए जाने पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल कराने का हक निहित होने पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2018 अस्वीकार किए जाने योग्य है साथ ही नामान्तकरण संख्या 3044 को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार राजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2018 नामान्तकरण संख्या 3044 वाके ग्राम आमकीवाल तहसील राजगढ निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार राजगढ को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 3044 वाके ग्राम आमकीवाल तहसील राजगढ के संदर्भ में रहन से संबंधित दस्तावेजों की नियमानुसार जांच कर विधिसम्मत मुताबिक बयनामा नामान्तकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर

(इन्द्रजीत सिंह )
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)